

न्यायालय : भारत सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना (म.प्र.)

कमांक / 1563 / 2024-2025

जिला गुना, दिनांक 28.11.2024

- :: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह दिसम्बर 2024+जनवरी 2025::-

माह दिसम्बर 2024 एवं जनवरी 2025 के अधोलिखित सार्वजनिक अवकाशों में गुना जिला एवं आरोन, राघौगढ, चांचौड़ा तहसील न्यायिक स्थापना पर अत्यावश्यक प्रकृति के आपराधिक कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की रिमाण्ड ड्यूटी नियत की जाती है। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा निम्नानुसार सार्वजनिक अवकाश दिवस को **दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे** के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी।

- ::जिला न्यायिक स्थापना-गुना ::-

	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह दिसम्बर 2024	माह जनवरी 2025
1	श्री नितेन्द्र सिंह तोमर	01-12-2024	01-01-2025
2	श्रीमती ऋतु श्री गुप्ता	22-12-2024	14-01-2025
3	श्रीमती सरिता डाबर वास्कले	-	-
4	श्री अभिजीत सिंह वास्कले	29-12-2024	-
5	श्री यश दुबे	25-12-2024	26-01-2025
6	श्री राजकुमार तोरनिया	21-12-2024	12-01-2025
7	श्री सुरेश बारगीया	-	04-01-2025 05-01-2025
8	श्रीमती श्रुति चौहान	08-12-2024	18-01-2025
9	श्री चेतन बजाड़	15-12-2024	19-01-2025



- ::तहसील न्यायिक स्थापना-राधौगढ ::-

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह दिसम्बर 2024	माह जनवरी 2025
1	श्री मोहम्मद जफर	01-12-2024 15-12-2024 29-12-2024	04-01-2025 05-01-2025
2	श्री आशीष शर्मा	21-12-2024 22-12-2024	12-01-2025 14-01-2025 26-01-2025
3	श्री रवि तंवर	08-12-2024 25-12-2024	01-01-2025 18-01-2025 19-01-2025



- ::तहसील न्यायिक स्थापना-आरोन ::-

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह दिसम्बर 2024	माह जनवरी 2025
1	सुश्री रेणु खेस	01-12-2024 08-12-2024 15-12-2024	01-01-2025 04-01-2025 05-01-2025 26-01-2025
2	श्री हीरालाल सिसौदिया	21-12-2024 22-12-2024 25-12-2024 29-12-2024	12-01-2025 14-01-2025 18-01-2025 19-01-2025

- ::तहसील न्यायिक स्थापना-चांचौडा ::-

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह दिसम्बर 2024	माह जनवरी 2025
1	श्रीमती आकांक्षा कात्याल	01-12-2024 08-12-2024	18-01-2025 19-01-2025
2	सुश्री प्रियम सेन	15-12-2024 29-12-2024	01-01-2025 04-01-2025 05-01-2025
3	श्रीमती डिम्पल कश्यप	21-12-2024 22-12-2024 25-12-2024	12-01-2025 14-01-2025 26-01-2025

सामान्य नोट—

1— माह दिसम्बर 2024 एवं जनवरी 2025 के उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त अन्य किसी दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित होने अथवा रिमांड ड्यूटी हेतु नियुक्ति मजिस्ट्रेट के अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्वीकृत होने अथवा स्थानांतरित होने की दशा में गुना, आरोन एवं चांचौड़ा स्थापना पर उक्त दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन **माह दिसम्बर** क्रमशः **श्री चेतन बजाड/सुश्री रेणू खेस/श्री मोहम्मद जफर/सुश्री प्रियम सेन एवं जनवरी 2025 में श्री सुरेश बारगीया/श्री हीरालाल सिसौदिया/श्री आशीष शर्मा/श्रीमती डिंपल कश्यप** द्वारा किया जावेगा।

2— उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड ड्यूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। किन्तु आकस्मिकता एवं आपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड परिवर्तित/समाप्त कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित पारस्परिक सहमति प्रेषित किये जाने पर, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड ड्यूटी परिवर्तित की जा सकेगी।

3— सार्वजनिक अवकाश अवधि में न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दिये जाने का आवेदन प्रेषित करते समय आवेदन में उक्त सार्वजनिक अवकाश में उनकी रिमांड ड्यूटी नियत होने या न होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4— सार्वजनिक अवकाश दिवस में रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक कार्य का संपादन किया जाता है। अतः रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायिक कार्य हेतु गरिमा अनुरूप उचित गणवेश रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान धारित करेंगे।

5— समस्त थाना प्रभारी/अनुसंधानकर्ताओं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी से विहित 24 घंटे की समयवधि का अवसान रिमांड ड्यूटी हेतु नियत समय 03.00 बजे के पूर्व समाप्त होने की दशा में उक्त दिनांक को रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायालय के निष्पादक लिपिक से अविलंब संपर्क कर निष्पादक लिपिक के माध्यम से रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट को अवगत कराना तथा रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार रिमांड संबंधी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

विशेष :- यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना के आदेश के अधीन प्रभावशील रहेगा।

अनुमोदित

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म.प्र.)
29.11.2024



(भारत सिंह कनेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)

पृ.क्र.:- /2024

गुना, दिनांक

प्रतिलिपि :- (ईमेल-मेसेज द्वारा)

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- जिला/सहायक अभियोजन अधिकारी, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ।
- 5- नाजिर/नायब नाजिर, नजारत अनुभाग गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ।
- 6- पुलिस अधीक्षक, गुना की ओर समस्त थाना प्रभारियों को संसूचित करने बावत्।
- 7- जेल अधीक्षक जिला गुना, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 8- सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए./कम्प्यूटर लिपिक न्यायिक स्थापना गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई-मेल/मेसेज के माध्यम से संबंधितों को प्रेषित किये जाने हेतु।

(भारत सिंह कनेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)

न्यायालय : भारत सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला-गुना (म.प्र.)

कमांक / 1564 / 24

गुना, दिनांक : 28.11.2024

::वीडियो कान्फेसिंग ड्यूटी आदेश ::

माह दिसम्बर 2024+जनवरी 2025 में सोमवार से शनिवार में अधोलिखित कार्य दिवस में वीडियो कान्फेसिंग ड्यूटी के दौरान निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना द्वारा दोपहर 02:00 बजे से 02:30 बजे के मध्य किया जाना है :-

क.	नाम अधिकारी	वार
1	श्री नितेन्द्र सिंह तोमर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	सोमवार
2	श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	मंगलवार
3	श्रीमती रितु श्री गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	बुधवार
4	श्री अभिजीत सिंह वास्कले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	गुरुवार
5	श्री चेतन बजाड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	शुक्रवार
6	श्री राजकुमार तोरनिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	शनिवार

नोट- उक्त वीडियो कान्फेसिंग ड्यूटी में कोई संशोधन नहीं किया जावेगा, किन्तु किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश पर होने की दशा में उक्त ड्यूटी वर्तमान प्रचलित कार्यविभाजन पत्रक अनुसार की जावेगी।

अनुमोदित

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म.प्र.)
29.11.2024



(भारत सिंह कनेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला गुना (म.प्र.)